कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंराज(प्राशि) राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा / प्रारं / विजॉच / 4850(संस्था) / 2015 / 650 दिनांक 18 / 07 / 2019

1. संयुक्त निदेशक,
   स्कूल शिक्षा.....(समस्त)

2. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय),
   प्रारंभिक शिक्षा.....(समस्त)

विषयः– विभाग में लम्बित अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रकरणों के संबंध में।
प्रसंगः– कार्मिक विभाग का पत्रांकः–प.3(1) कार्मिक / क–3 / 2004 जयपुर दिनांक 28.06.2019

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संबंध में लेख है कि "जॉच" संबंधी प्रकरणों में त्वरित गति से प्रबोधन हेतु कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र की छाया प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्देशों की नियमानुसार कठोरतापूर्वक अपने / अधीनस्थ समस्त कार्यालयों से तत्काल पालना सुनिश्चित करावें। किसी प्रकार की नियम विपरीत कार्यवाही / निर्देशों बावजूद विलम्ब की स्थिति के लिये आप व्यक्तिशः उत्तरदायी होंगे। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करावें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

जिला शिक्षा अधिकारी (वि.जॉच)
प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंराज (प्राशि)
बीकानेर

www.rajteachers.com

प्रतिलिपिः–

1. शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, जयपुर को उनके पत्रांकः–प.17(3)प्राशि / संस्था / 2019 दिनांक 12.07.2019 के क्रम में।
2. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को Site पर Upload हेतु।

जिला शिक्षा अधिकारी (वि.जॉच)
प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंराज (प्राशि)
बीकानेर

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
प्रा. संख्या ....
दिनांक ....

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
प्रा. संख्या 2913
दिनांक 10/7/19

प्रमुख शासन सचिव
स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय
एवं पंचायती राज (प्रारम्भिक शिक्षा) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
आवक संख्या 5/6119
दिनांक 5/7/19

137

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–3 / जांच) विभाग

क्रमांक: प.3(1)कार्मिक / क–3 / 2004 — जयपुर, दिनांक 28 JUN 2019

III/DS-II/DSE

–: परिपत्र :–

प्रायः देखने में आता है कि विभिन्न अधिकारियों / कार्मिकों के विरूद्ध लम्बित अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रकरण लम्बे समय तक लम्बित रहने के कारण कार्मिक के विरूद्ध शास्ति अथवा पदोन्नति इत्यादि की कार्यवाही लम्बे समय तक रूकी रहती है जिससे दोषी कार्मिकों के विरूद्ध समय पर दण्डिक कार्यवाही समय पर नहीं हो पाती है एवं निर्दोष कार्मिक को अनावश्यक पदोन्नति से वंचित होना पड़ता है। विशेषरूप से सेवानिवृत्त होने वाले अथवा सेवानिवृत्त हो चुके कार्मिकों को सेवानिवृत्ति पर देय पेंशन / ग्रेच्युटी इत्यादि के भुगतान में भी बाधा उत्पन्न होती है।

मा. उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल स्पेशल अपील (रिट) सख्या 371 / 2018 राज्य सरकार एवं अन्य बनाम डॉ0 मेघराज मीणा में एकलपीठ द्वारा डॉ0 मेघराज मीणा के पक्ष में पारित आदेश को विधिपूर्ण आदेश माना है। डॉ0 मेघराज मीणा बनाम राज्य सरकार केस में एकलपीठ द्वारा दिये गये निर्णय दिनांक 25.10.2017 द्वारा समय पर विभागीय कार्यवाही सम्पन्न ना करने पर दोषी अनुशासनिक अधिकारी की जिम्मेदारी तय करते हुए विलम्बित अवधि के ब्याज का भुगतान दोषी अधिकारी से वसूलने के निर्देश दिये है।

अतः समस्त अनुशासनिक प्राधिकारियों एवं विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया जाता है कि राज्य सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों / कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण करावें अन्यथा प्रकरण में अनावश्यक देरी होने पर संबंधित के विरूद्ध अनुशासनात्मक / वित्तीय जिम्मेदारी नियत करने की कार्यवाही की जा सकती है। उक्त निर्देशों की कठोरत्तापूर्वक पालना सुनिश्चित करवायी जावें।

(रोली सिंह) 25/6/19
प्रमुख शासन सचिव

www.rajteachers.com

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल / मुख्यमंत्री राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव, राजस्थान।
4. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
5. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
6. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान।
7. प्रोग्रामर कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

(अवधेश सिंह)